उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

संख्या सा0-3-1195/दस-301-91

लखनऊ, 3 जुलाई, 1991

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0-3-2703/दस-301/90, दिनांक 20 दिसम्बर, 1990 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 1 जुलाई, 1990 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 608 मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु 1 जनवरी, 1991 से महंगाई राहत की दरें निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :—

पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह	महंगाई राहत की मासिक दर
(1) रु0 1750 से अनधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 51 प्रतिशत ।
(2) रु0 1750 से अधिक किन्तु रु0 3000 से अनाधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 38 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु0 893/-
(3) रु0 3000 से अधिक	पेंशन का 33 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु0 1140/-

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपए के गुणांक में आगणित होगी उसे अगले रुपए में राउण्ड कर दिया जायगा।

3—1 जनवरी, 1991 एवं उसके बाद अनुमन्य महंगाई राहत, जैसी इन आदेशों के अन्तर्गत देय है, का एक रेडी-रेकनर संलग्न किया जा रहा है। यदि रेडी-रेकनर में दर्शाए गए अंकों में कोई त्रुटि पाई जाय तो कोषाधिकारी द्वारा इन आदेशों के अनुसार आवश्यक संशोधन करके भुगतान कर दिया जाए तथा शासन को जानकारी में भी लाया जाय ।

4—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे । उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा ।

5—यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्यनिधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे ।

6—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान संलग्न रेडी-रेकनर के आधार पर कर दिया जायेगा ।

7—महंगाई राहत स्वीकार करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे ।

आज्ञा से,

अनूप मिश्र,
विशेष सचिव ।

सेवा में;

शासन के समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, जिला कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण ।

375—468 | **469—562** | **563—668**

Note—P-FP—Pension-Family Pension DR—Dearness Relief
[EG—Ex-Gratia from 1-1-1991]

P/FP 375—376	377—378	379—380	
DR 192	193	194	
P/FP 381—382	383—384	385—386	
DR 195	196	197	
P/FP 387—388	389—390	391—392	
DR 198	199	200	
P/FP 393—394	395—396	397—398	
DR 201	202	203	
P/FP 399—400	401	402—403	
DR 204	205	206	
P/FP 404—405	406—407	408—409	
DR 207	208	209	
P/FP 410—411	412—413	414—415	
DR 210	211	212	
P/FP 416—417	418—419	420—421	
DR 213	214	215	
P/FP 422—423	424—425	426—427	
DR 216	217	218	
P/FP 428—429	430—431	432—433	
DR 219	220	221	
P/FP 434—435	436—437	438—439	
DR 222	223	224	
P/FP 440—441	442—443	444—445	

469—470	471—472	473—474
240	241	242
475—476	477—478	479—480
243	244	245
481—482	483—484	485—486
246	247	248
487—488	489—490	491—492
249	250	251
493—494	495—496	497—498
252	253	254
499—500	501	502—503
255	256	257
504—505	506—507	508—509
258	259	260
510—511	512—513	514—515
261	262	263
516—517	518—519	520—521
264	265	266
522—523	524—525	526—527
267	268	269
528—529	530—531	532—533
270	271	272
534—535	536—537	538—539

563—564	565—566	567—568
288	289	290
569—570	571—572	573—574
291	292	293
575—576	577—578	579—580
294	295	296
581—582	583—584	585—586
297	298	299
587—588	589—590	591—592
300	301	302
593—594	595—596	597—598
303	304	305
599—600	601	602—603
306	307	308
604—605	606—607	608—609
309	310	311
610—611	612—613	614—615
312	313	314
616—617	618—619	620—621
315	316	317
622—623	624—625	626—627
318	319	320
628—629	630—631	632—633
321	322	323
634—635	636—637	638—639
324	325	326
640—641	642—643	644—645
327	328	329